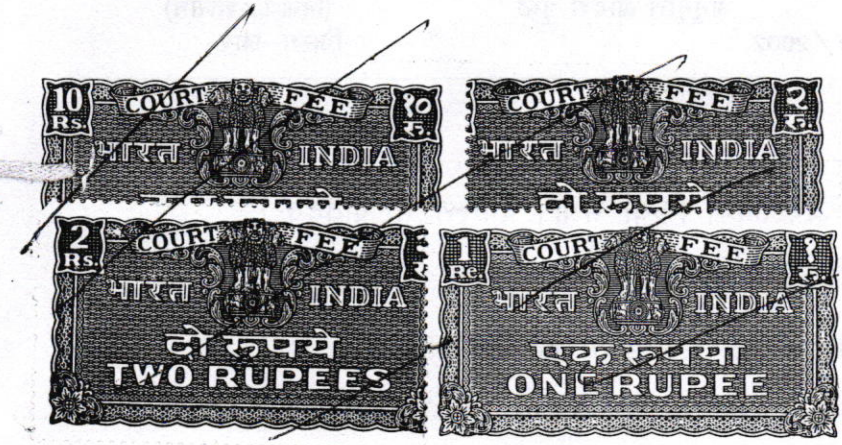

हेमन्त भट्ट 23/9/02

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2002

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर, के न्यायालय में

R 2627-I/02

विजय पिता दिनेश

निवासी - गणपुर तहसील मनावर

जिला धार ---प्रार्थी

राजस्व मण्डल आ. क्र. 4195 दिनांक 28-10-02

क्रमांक ______ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 28-10-02 को प्राप्त क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन ----प्रतिप्रार्थी

निगरानी धारा 50, म.प्र. भू - राजस्व संहिता, 1959, के अन्तर्गत

श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर, संभाग - इंदौर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/1999-2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.6.02 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी को ग्राम गणपुर तहसील मनावर में ग्रामीण आवास योजना के तहत 30 फीट बाय 30 फीट का पट्टा दिनांक 14.3.1993 को दिया गया था, उक्त पट्टे केआधार पर पटवारी ने जहां पट्टे का स्थान बताया उस स्थान पर प्रार्थी ने निर्माण कार्य शुरू किया तथा कॉलम एवम् बीम की नींव डालकर मकान का निर्माण प्रारंभ किया। पटवारी के द्वारा प्रार्थी को उस भूमिके संबंध में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रसतुत की गयी जिनके आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध तहसील न्यायालय ने धारा 248 के अन्तर्गत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (विजय / शासन)

प्रकरण कमांक निगरानी 2627–एक / 2002 जिला–धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.01.2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 13–3–2009 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 20–01–2016 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 13–3–09 से 20–01–16 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 20–01–2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2002 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **अध्यक्ष**	